

प्रेषक,

नितेश कुमार झा,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
चिकित्सा शिक्षा विभाग,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग—1

विषय:- राजकीय मेडिकल कॉलेजों के सम्बद्ध चिकित्सालयों में प्राप्त किये जा रहे यूजर चार्जर्ज के उपयोग के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या—2064/चि०शि०/०३(श्रीनगर) /176 /2013 दिनांक 05 मई, 2017 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से राज्य में स्थित राजकीय मेडिकल कॉलेजों के सम्बद्ध चिकित्सालयों में अपरिहार्य परिस्थितियों में यूजर चार्जर्ज के रूप में प्राप्त धनराशि को अत्यावाश्यक सेवाओं के मदों में व्यय किये जाने की स्वीकृति प्रदान किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2— इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि राजकीय मेडिकल कॉलेजों में यूजर चार्जर्ज का दुरुपयोग होने के कारण शासनादेश संख्या—810/XXVIII(1)/2016-57 (हल्दानी) / 2012 दिनांक 11 मार्च, 2016 द्वारा यूजर चार्जर्ज के रूप में प्राप्त शत-प्रतिशत धनराशि को राजकोष में जमा कराने का निर्णय लिया गया। विंगत 02 वर्षों के दौरान राजकीय मेडिकल कॉलेजों के सम्बद्ध चिकित्सालयों में आवश्यक मदों यथा—औषधि रसायन, जीवन रक्षक दवाईयाँ, चिकित्सालय के प्रयोगार्थ एम्बुलेन्स/जैनरेटर हेतु डीजल तथा ऑक्सीजन आपूर्ति आदि के मदों में पर्याप्त बजट की अनुपलब्धता के कारण राजकीय मेडिकल कॉलेज, हल्दानी तथा राजकीय मेडिकल कॉलेज, श्रीनगर में औषधि एवं उपकरणों आदि की देनदारियाँ लम्बित हैं, जिसके कारण सम्बद्ध चिकित्सालयों के संचालन में कठिनाई उत्पन्न हो रही है। चूंकि राजकीय मेडिकल कॉलेज के सम्बद्ध चिकित्सालयों में आक्रिमिक व्यय हेतु प्राचार्य को तत्काल व्यवस्था करनी होती है, जिसके लिए उनके पास एक निश्चित फण्ड का होना आवश्यक है।

3— अतः उक्त के दृष्टिगत इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि तत्काल प्रभाव से राज्य में स्थित राजकीय मेडिकल कॉलेजों के सम्बद्ध चिकित्सालयों में यूजर चार्जर्ज के माध्यम से प्राप्त धनराशि का 50 प्रतिशत राजकोष में जमा किया जायेगा तथा शेष 50 प्रतिशत धनराशि का उपयोग आक्रिमिक व्यय हेतु शासनादेश संख्या—2589/XXVIII(1)/2016-57(हल्दानी)2012 दिनांक 13 अक्टूबर, 2016 द्वारा सम्बन्धित मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन व्यय किया जायेगा:-

1. राज्य में स्थित राजकीय मेडिकल कॉलेजों के सम्बद्ध चिकित्सालयों में 50 प्रतिशत धनराशि का उपयोग शासनादेश संख्या—2589/XXVIII(1)/2016-57 (हल्दानी)2012 दिनांक 13 अक्टूबर, 2016 द्वारा गठित प्रबन्धन समिति द्वारा किया जायेगा।
2. सम्बन्धित मेडिकल कॉलेजों द्वारा उक्त समिति का खाता किसी राष्ट्रीयकृत बैंक एवं उसकी शाखा में खोला जायेगा एवं सम्बन्धित मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य


जुलाई

देहरादून: दिनांक 03 जून, 2018

तथा वित्त नियंत्रक के संयुक्त हस्ताक्षर के माध्यम से ही खाता संचालित किया जायेगा।

3. समिति द्वारा जमा धनराशि का उपयोग पूर्ण पारदर्शिता/मितव्ययता के आधार पर संगत नियमों के आलोक में वित्तीय अधिकारों के प्रतिनिधायन की सीमा के अन्तर्गत किया जायेगा।
4. सम्बन्धित मेडिकल कॉलेजों की प्रबन्धन समिति द्वारा 50 प्रतिशत यूजर चार्जेज का उपयोग आकस्मिक व्यय निम्नलिखित मानक मदों में प्राविधानित स्वीकृत बजट का पूर्ण उपयोग होने के उपरान्त ही किया जायेगा :—
 - i- चिकित्सालय हेतु प्रयुक्त एम्बुलेन्स/जैनरेटर के डीजल हेतु।
 - ii- औषधि एवं रसायन तथा ऑक्सीजन आपूर्ति हेतु।
 - iii- एम0आर0आई0/सीटी0 स्कैन/एक्सरे की फिल्म।
 - iv- अत्यावाश्यक जीवन रक्षक दवाईयों की आपूर्ति (Life Saving Drugs)।
5. किसी भी दशा में उक्त बिन्दु-4 में अंकित मदों से इतर धनराशि का उपयोग नहीं किया जायेगा। यदि ऐसा किया जाता है, तो इसका सम्पूर्ण दायित्व सम्बन्धित मेडिकल कॉलेज के वित्त नियंत्रक एवं प्राचार्य का होगा।
6. यूजर चार्जेज का पूर्ण माहवार विवरण (50 प्रतिशत राजकोष में जमा तथा 50 प्रतिशत उपयोग धनराशि) निदेशक, चिकित्सा शिक्षा के माध्यम से शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

4— यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या—282(म0)/XXVII(3)/18-19 दिनांक 25 जून, 2018 में प्राप्त सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(नितेश कुमार झा)
सचिव।

संख्या— (1) / XXVIII(1)/2018- 57(हल्द्वानी)/2012 तददिनांकित।
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, माजरा देहरादून।
2. आयुक्त, कुमार्यू एवं गढ़वाल मण्डल, उत्तराखण्ड।
3. सम्बन्धित जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
4. निदेशक कोषागार एवं वित्त सेवायें, उत्तराखण्ड, देहरादून।
5. संबंधित वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी।
6. प्राचार्य, सम्बन्धित राजकीय मेडिकल कॉलेज।
7. वित्त नियंत्रक, सम्बन्धित राजकीय मेडिकल कॉलेज।
8. वित्त अनुभाग-3, उत्तराखण्ड शासन।
9. निदेशक, एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, देहरादून।
10. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(सुरेन्द्र सिंह रावत)
उप सचिव।